

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सेवा.नि./2017-18/162104/2017

दिनांक :- 01 जनवरी, 2017

कार्यालय-आदेश


राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की 60 वर्ष की अधिवाषिता की आयु पूरी कर लेने पर इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 58/ए/(1) वित्त विभाग की अधिसूचना प. 1/6/वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कालम संख्या 5 में अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार नरुला	आयोजना (ग्रुप-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर।	03.04.1957	30.04.2017
2.	श्री राकेश कुमार शर्मा	जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर।	13.04.1957	30.04.2017
3.	श्री बिरधीचन्द चौहान	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।	02.05.1957	31.05.2017
4.	श्री हरीशंकर उपाध्याय	सहा. निदे. आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ।	01.06.1957	31.05.2017
5.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री देवकीनन्दन	प्रगति प्रसार अधिकारी पं. स. रामगढ (अलवर)	15.06.1957	30.06.2017
6.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	आयोजना (ग्रुप-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर।	01.07.1957	30.06.2017
7.	श्री वीरेन्द्र कुमार पुरोहित	आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	09.06.1957	30.06.2017
8.	श्री चेला राम तोलानी	बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, अलवर।	02.06.1957	30.06.2017
9.	श्री इमामुद्दीन देशवाली	मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।	01.07.1957	30.06.2017
10.	श्री अनिल भार्गव	विशिष्ट आयोजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।	20.07.1957	31.07.2017
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गंजानन्द	बाल विकास परि0अधि0, सीकर (शहर)	05.07.1957	31.07.2017
12.	श्री मदन मोहन शर्मा	बाल विकास परि0अधि0, दातारामगढ, सीकर।	26.07.1957	31.07.2017
13.	श्री गिरीराज प्रसाद गुप्ता	निदेशालय, मुख्यालय।	10.07.1957	31.07.2017
14.	श्री नानुराम शर्मा	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, भीलवाडा।	11.07.1957	31.07.2017
15.	श्री भंवर सिंह शेखावत	निदेशालय, मुख्यालय।	05.07.1957	31.07.2017
16.	श्री गोपीचन्द विश्नोई	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।	15.07.1957	31.07.2017
17.	श्री बृजेन्द्र सिंह	प्र.प. अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर, भरतपुर।	17.07.1957	31.07.2017
18.	श्री रवीन्द्र कुमार पारीक	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर।	21.07.1957	31.07.2017
19.	श्रीमती हेमेन्द्र शर्मा	निदेशालय, मुख्यालय।	08.08.1957	31.08.2017
20.	श्री रामकृष्ण अग्रवाल	आयोजना विभाग (पीपीपी) शासन सचिवालय, जयपुर।	22.08.1957	31.08.2017
21.	श्री जयनारायण कुमावत	चिकित्सा एवं स्वा. निदे. (अन्धता निवारण) जयपुर।	08.09.1957	30.09.2017
22.	श्री अरविन्द कुमार माथुर पुत्र श्री मुरलीधर माथुर	सहायक निदेशक आ. एवं सां. विभाग, जालोर।	03.09.1957	30.09.2017
23.	श्री गुरुदयाल सिंह वर्मा	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।	06.09.1957	30.09.2017
24.	श्री रमेश कुमार जैन	संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर।	10.09.1957	30.09.2017
25.	श्री राजेश कुमार लवानिया	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।	21.10.1957	31.10.2017
26.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मुख्य आयोजना अधिकारी, जयपुर।	19.12.2017	31.12.2017
27.	श्री खेमचन्द गुप्ता	जिला सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर।	25.12.1957	31.12.2017
28.	श्री संग्राम ताड़ी	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर।	01.01.1958	31.12.2017

29.	श्री कैलाश चंद शर्मा	राजस्व मण्डल अजमेर।	01.01.1958	31.12.2017
30.	श्री अशोक कुमार आहूजा	निदेशालय, मुख्यालय।	01.01.1958	31.12.2017
31.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर।	08.01.1958	31.01.2018
32.	श्री राजबहादुर शर्मा	मुख्य आयोजना अधिकारी, दौसा।	26.01.1958	31.01.2018
33.	श्री रामनिवास सैन	निदेशालय, मुख्यालय।	26.01.1958	31.01.2018
34.	श्री सुनील चन्द डागा	निदेशालय, मुख्यालय।	12.02.1958	28.02.2018
35.	श्री राजीव भार्गव	निदेशालय, मुख्यालय।	26.02.1958	28.02.2018
36.	श्री हरीशंकर शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।	15.03.1958	31.03.2018
37.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री विरजी लाल	सहायक निदेशक आ. एवं सां. विभाग, सीकर।	13.03.1958	31.03.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित क्र.स. 5 व 22 के अतिरिक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(ओम प्रकाश बैरवा)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

दिनांक :- 02 जनवरी, 2017

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सेवा.नि./2017-18/1/62104/2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कार्यालय,.....।
4. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,.....।
5. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, मुख्यालय।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मु0 को विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित विभाग/कार्यालय.....।
9. श्री.....।
10. निजी /रक्षि पत्रावली।


(कुलदीप जैसंकर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),